<u>कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर</u>

क्रमांकः–शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1/12102/शा0शि0ग्रेड III/सी.भ./2013–16 दिनांक 03.06.2016

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक/माध्यमिक प्रथम)

विषयः– राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने हेतु।

प्रसंगः– इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 09.04.2016

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद हेतु भर्ती परीक्षा 2013 में अभिस्तावित किये गये चयनित अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र मय सूची इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 09.04.2016 के द्वारा आपको संलग्न कर **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम आदेश पारित किए जाने के उपरान्त निदेशालय द्वारा नियुक्ति हेतु पृथक से निदेशालय से अग्रिम आदेश प्राप्त होने के पश्चात् ही नियुक्ति आदेश जारी किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गए थे। चूंकि माननीय खण्डपीठ द्वारा प्रस्तुत डी.बी. स्पेशल अपीलों में निर्णय दे दिया है, माननीय खण्डपीठ द्वारा एकलपीठ के बिन्दु संख्या 11 के निष्कर्ष को अपास्त कर दिया गया है।** अतः इस कार्यालय के पत्र दिनांक 09.04.2016 द्वारा नियुक्ति हेतु आपके जिले को सुपुर्द किए गए अभ्यर्थियों को तत्काल निम्नांकित बिन्दूओं के अनुसार नियुक्ति प्रदान करते हुए पदस्थापन आदेश जारी कर प्रति तुरन्त इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करें:–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ7(1) डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 10/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/ प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जावे। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10/–

रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

4. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से नियुक्ति दिये जाने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे, मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।
5. जो अभ्यर्थी बी.पी.ई. (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) की प्रशैक्षिक योग्यता धारित करते हैं, उनकी एन. सी.टी.ई. से मान्यता नहीं होने के कारण नियुक्ति के पात्र नहीं माने जायेंगे। यदि ऐसे किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु आवंटित किया गया है तो उन्हें नियुक्ति नहीं दी जावे एवं उनका मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय को लौटा दिया जावे।
6. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेलकूद प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित नहीं है, तो उनके मूल खेलकूद प्रमाण पत्र पर संबंधित संस्था प्रधान के हस्ताक्षरित/प्रमाणीकरण की पुष्टि करने एवं उसकी सत्यापित प्रति अभिलेख में रखने के उपरांत ही उन्हें नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन प्रदान किया जावे।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दें। **उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरांत ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को नियुक्ति प्रदान करने सम्बन्धी कार्यवाही करें।**
8. **धौलपुर / भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग को कार्मिक(क-2)विभाग के पत्र क्रमांक प. 17(9)कार्मिक/क-2/2015 (प्रति संलग्न) के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डीबीसीडब्ल्यू एल 6046/99 रतनलाल बागड़ी बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2015 से जाट समुदाय को राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ देय नहीं होने सम्बन्धी निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे। यदि धौलपुर / भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग के किसी अभ्यर्थी, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के चयन वर्ग की रिक्तियों के प्रति चयनित है एवं नियुक्ति हेतु आवंटित कर दिया गया है, तो ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान नहीं की जावे एवं उसका आवेदन पत्र इस कार्यालय को लौटाया जावे।**
9. चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के अनुसार पी.बी. 2 9300-34800 ग्रेड पे-3600 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी।

10. नियुक्ति पत्र जारी करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छाया चित्र(फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी नियुक्ति प्राप्त करे, जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र(फोटो) चस्पा है।
11. नियुक्ति आदेश में इस तथ्य का स्पष्टतः अंकन किया जावे कि किस अभ्यर्थी का चयन किस वर्ग के निर्धारित आरक्षण के प्रति किया गया है, जैसा कि संलग्न सूची में संबंधित अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख दर्शाया गया है।
12. इनकी नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 17(4) शिक्षा–2/2009 दिनांक 29.03.2016के पार्ट बी में वर्णित निर्देश संख्या 1 से 9 के अनुसार पूर्व में आयोजित परामर्श शिविर के आधार पर की जावें ।
13. **TSP AREA हेतु निर्धारित रिक्तियों के प्रति (चयन वर्ग TGEM, TGEF, TSTM, TSTF, TSCM एवं TSCF के प्रति) चयनित अभ्यर्थियों को TSP AREA में ही पदस्थापित किया जायेगा, ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य क्षेत्र में पदस्थापित नहीं किया जावे। सामान्य क्षेत्र हेतु चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन TSP AREA में नहीं किया जावे।**
14. जारी नियुक्ति आदेश की प्रतियां इस कार्यालय को तुरन्त भिजवाई जावे। पद पर कार्यग्रहण करने पर इनके कार्यग्रहण की सूचना तुरन्त इस कार्यालय को सूचीबद्ध रूप से तुरन्त भिजवाने की व्यवस्था की जावे।
15. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहते हुए की जावे।
16. चयनित आशार्थियों के पदस्थापन से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से करें।
17. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रूटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
18. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी बचनबंधता(Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
19. इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर कार्यग्रहण की अंतिम तिथि दिनांक 20.06.2016 निर्धारित की जावें।

(बी. एल. स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान–बीकानेर

प्रतिलपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1. शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. शासन उप सचिव, कार्मिक(क–2)विभाग, राजस्थान, जयपुर

2. शासन उप सचिव, कार्मिक(क–2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ) विभाग, जयपुर
5. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–विधि जयपुर/जोधपुर
6. अनुभागाधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।

संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण),
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर